RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : रविवार 08 दिसंबर 2024 | वर्ष 06 | अंक 236 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी ®

खबरें बे-रोकटोक

महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी को बड़ा झटका!

Page - 3

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी!

मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर मिला मैसेज...

मुंबई: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस को शनिवार को ये धमका भरा मैसेज मिला है। प्राप्त मैसेज में पीएम मोदी को निशाना बनाकर विस्फोट करने की बात कही गई थी। वहीं इस मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि जिस नंबर से यह मैसेज भेजा गया था, उसका पता राजस्थान के अजमेर में लगाया गया है। वहीं मैसेज मिलने के बाद संदिग्ध को पकड़ने के लिए तुरंत पुलिस की एक टीम अजमेर रवाना कर दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर तड़के एक व्हाट्सएप मैसेज मिला था। इस मैसेज में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 'आईएसआई' के एजेंट का जिक्र किया गया था। इसके अलावा मैसेज में पीएम मोदी को निशाना बनाकर बम विस्फोट करने की साजिश की बात कही गई थी। अधिकारी ने बताया कि जांच अधिकारियों को संदेह है कि संदेश भेजने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है या उसने शराब पी रखी थी। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इससे पहले भी मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन को कई बार फर्जी धमकी भरे मैसेज मिल चुके हैं।

महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम और डिप्टी सीएम ने ली शपथ...

विपक्ष ने दिखाए तेवर...

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इस बीच, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधान भवन परिसर पहुंचे और विपक्ष ने विधानसभा के सत्र का बहिष्कार किया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, ''हमने आज शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया क्योंकि ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यह (महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे) जनता का जनादेश नहीं है।''

अजित पवार और शिवसेना शिंदे नेता ने दिया जवाब

इसपर अजित पवार ने उन्हें जवाब दिया, 'यह ईवीएम और भारत के चुनाव आयोग का आदेश है। यहां इस तरह के आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें (विपक्ष को) चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और अगर वहां उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।' शिवसेना यूबीटी के इस फैसले पर कि उनके जीते हुए विधायक शपथ नहीं लेंगे, शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा, 'वे (महा विकास अघाड़ी) बहुत बचकानी बातें कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव मतपत्र के जरिए किया जाएगा और फिर वे इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की मांग कर सकते हैं, अगर ऐसा होता रहा तो देश में कहीं भी सरकार का गठन नहीं होगा, जिस तरह से चुनाव हुआ है, वह लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। सभी निर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे और उसके बाद के नेता 3 पार्टियां करेंगी साथ बैठें और निर्णय लें, उनकी चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी है।'

आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान...

आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, 'आज इस शपथग्रहण समारोह में कोई उत्साह नहीं है। पता नहीं यह जनादेश जनता का है या चुनाव आयोग का। सोलापूर के मारकडवाडी में जनता बैलेट पेपर पर वोटिंग करना चाहती थी लेकिन प्रशासन ने मतदान की इजाजत नहीं दी। अब प्रशासन वहां लोगों को गिरफ्तार कर रही है। अबतक 20 लोगों को गिफ्तार किया गया है। इसी के विरोध में आज महाविकास अघाड़ी के विधायक शपथ नहीं लेंगे।'

बीच सड़क पर महिला को नोच नोचकर घसीटते रहे आवारा कुत्ते...

वीडियो देख कांप उठेगी रूह...

कल्याण : कल्याण के पास टिटवाला के रीजेंसी कॉम्प्लेक्स में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां एक महिला पर चार से पांच आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों के झुंड ने महिला को घसीट घसीटकर घायल कर दिया, महिला को कुत्ते नोच नोचकर घसीटते रहे और महिला चीखती चिल्लाती रही। कुत्तों के इस हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है। इस घटना से इलाके मे दहशत का माहौल है। संबंधित अधिकारियों द्वारा आगे की जांच की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की देर रात तकरीबन एक बजे के आसपास की यह घटना सामने आई है। टिटवाला के रीजेंसी कॉम्प्लेक्स के कैंप में एक 68 वर्षीय महिला पर कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इतना ही नहीं, कुत्ते महिला को घसीट घसीटकर 50 मीटर दूर तक ले गए। उसके बाद कुछ लोग दौड़कर आए जिन्हें देखकर कुत्तों ने महिला को छोड़ दिया और भाग गए। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है।

महिला की हालत काफी गंभीर

गोवेली सरकारी अस्पताल की डॉक्टर दीपलक्ष्मी कांबले ने बताया कि, रात तीन बजे के आसपास घायल महिला को गोवेली अस्पताल में लाया गया। महिला गंभीर रूप से घायल है। उसके सिर पर, पैर में, हाथ में गहरा जख्म होने के कारण वह इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ भी बात कर सके। महिला का प्राथमिक इलाज किया गया उसके तुरंत बाद महिला को उल्हासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल भेजा गया लेकिन महिला की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने कलवा हॉस्पिटल भेजा जहां से अब उसे मुंबई के जेजे अस्पताल में भेज दिया है।

सरकार बनते ही अजित पवार को बड़ी राहत

1000 करोड़ की संपत्ति लौटाएगा आयकर विभाग

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनते ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने 2021 में जब्त की गई 1000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को मुक्त कर दिया है। यह कदम बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उन पर और उनके परिवार पर बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज करने के बाद उठाया गया है।

शपथ लेने के एक दिन बाद राहत

यह फैसला पवार के उपमुख्यमंत्री की शपथ लेने के एक दिन बाद आया है। शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री तो वहीं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

बेनामी संपत्ति रखने का मामला

आयकर विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को एनसीपी नेता और उनके परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे थे। अजित पर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप था। मामले में सतारा में एक चीनी मिल, दिल्ली में एक फ्लैट और गोवा में एक रिसॉर्ट सहित कई संपत्तियों को जब्त किया गया था।

पवार परिवार ने कुछ भी गलत नहीं किया

अजित पवार और उनके परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि आरोपों का कोई कानूनी आधार नहीं है और परिवार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन संपत्तियों को हासिल करने के लिए लेन-देन बैंकिंग प्रणाली सहित वैध चैनलों के माध्यम से किया गया था और रिकॉर्ड में कोई अनियमितता नहीं है।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

किसानों का दिल्ली कूच...

लंबे समय से पंजाब-हरियाणा सीमा पर बैठे किसानों ने दिल्ली कूच का जो प्रयत्न किया, उसे हरियाणा सरकार ने एक बार फिर विफल कर दिया। कहना कठिन है कि इसके बाद किसान नेता क्या करेंगे ? वे शंभू बार्डर पर बैठे रहकर नए सिरे से दिल्ली आने की कोशिश करेंगे या फिर सरकार से बातचीत का रास्ता पकड़ेंगे ? बेहतर होगा कि वे सरकार के साथ बातचीत करने को प्राथमिकता दें। बातचीत को सार्थक बनाने के लिए जहां यह आवश्यक है कि सरकार उनकी उचित मांगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए, वहीं किसान नेता भी ऐसी मांगों की जिद छोड़ें, जो न तो व्यावहारिक हैं और न ही जिन्हें किसी भी सरकार के लिए मानना संभव है। किसान संगठन एमएसपी खरीद की कानूनी गारंटी के साथ किसानों के लिए पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी चाहते हैं कि भारत विश्व व्यापार संगठन से हट जाए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगा दे। वे इस पर भी जोर दे रहे हैं कि सरकार बिजली संशोधन विधेयक रद कर दे।

उनकी ऐसी ही मांगों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान संगठन जायज मांगें ही रखें। निःसंदेह किसान संगठनों की कुछ मांगें ऐसी भी हैं, जिन पर सरकार को उदारता से विचार करना चाहिए, लेकिन यदि उचित मांगों के साथ अनुचित आग्रह किया जाएगा तो फिर इससे बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। यदि किसान संगठन यह चाह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों पर लचीला रवैया अपनाए तो उन्हें भी लचीलापन अपनाना चाहिए। भले ही विपक्षी दल किसान संगठनों के साथ खड़े होने के लिए तत्पर हों और उनकी हर मांग को उचित बताने में लगे हुए हों, लेकिन सच यही है कि वे उन्हें सरकार के खिलाफ मोहरा बनाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। वे किसान संगठनों के दिल्ली कूच का समर्थन कर रहे हैं तो इसीलिए ताकि राजधानी में समस्या खड़ी हो जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान दिल्ली और एनसीआर किस तरह त्रस्त हो गए थे। भले ही किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों की वापसी को अपनी एक बड़ी जीत बताएं, लेकिन सच यही है कि इससे कृषि और किसानों की दशा सुधारने की कोशिश को झटका ही लगा।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 8657861004
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई : हत्या के एक मामले में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी...

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में एक आरोपी को हत्या या हत्या की साजिश से सीधे तौर पर जुड़े सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पड़ोसी की हत्या के आरोपी को हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया वसई निवासी विजय लुल्ला और 6 अन्य लोगों पर हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े विवाद में अपने पड़ोसी मुल्तानमल जैन की हत्या का मुकदमा चल रहा था। कथित हत्याकांड की मुखबिर शारदा पटेल, जो जैन की ही बिल्डिंग में रहती थी, ने पुलिस को बताया था कि सातों आरोपी 29 मार्च 2024 की शाम को मृतक के फ्लैट में घुस आए और उसे लकड़ी के डंडे से मारा, जिससे जैन की मौत हो गई।

पटेल के अनुसार, पिछले दिन - 28 मार्च - जैन का कथित तौर पर उसके ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाले किराएदार कश्मीरा मंडलिया से झगड़ा हुआ था। मंडालिया के फ्लैट में आने वाली एक आगंतुक ने कथित तौर पर बालकनी पर अपना चेहरा धोया था और कुछ पानी नीचे जैन की बालकनी में गिर गया था, और गुस्से में जैन मंडालिया के फ्लैट में भाग गया और झगड़ा करने लगा। पटेल ने आरोप लगाया कि 29 मार्च को रात करीब 8 बजे आरोपी जैन के फ्लैट में घुस आया और पहले पिछली शाम हुए झगड़े के लिए उसे गाली दी और बाद में उसे डंडे से बुरी तरह मारा। कई गवाहों के बयानों को देखने के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विजय लुल्ला उस स्थान पर मौजूद नहीं था, जहां हमला हुआ था। अदालत ने कहा कि विजय घटना की दोपहर को मंडालिया के घर गया था और उसने उल्लेख किया था कि जैन हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक उपद्रव बन गया था। अदालत ने यह भी देखा कि विजय को पीड़ित की हत्या की किसी साजिश से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं था। अदालत ने कहा, ''अदालत के सामने पेश की गई एकमात्र सामग्री सुश्री कश्मीरा मंडालिया का घटना की तारीख पर आरोपी की उनके फ्लैट में मौजूदगी के बारे में अस्पष्ट और व्यापक बयान है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।'' अंत में, न्यायमूर्ति जाधव ने कहा, ''जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोपी संख्या 6 (विजय लुल्ला) की उक्त घटना में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी, न ही उसकी उपस्थिति का कोई साक्ष्य है, न ही मृतक को खत्म करने के लिए रची गई किसी साजिश में उसकी कोई भूमिका है, तो आवेदक (लुल्ला) को मुकदमे का सामना करने के लिए नहीं कहा जा सकता'', और लुल्ला को मुकदमे से मुक्त कर दिया।

मुंबई हवाई अड्डे पर बम की झूठी सूचना भेजने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज...

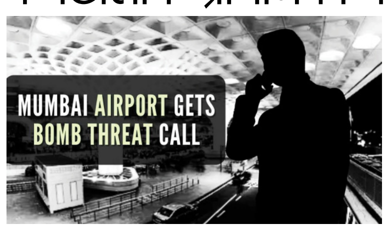

मुंबई : मुंबई सहर पुलिस ने बुधवार को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई पर कथित तौर पर बम की झूठी सूचना भेजने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। रविवार और मंगलवार को क्रमशः एक झूठी कॉल और ई-मेल प्राप्त हुई थी।

पिछले सप्ताह सीएसएमआईए को दो झूठी धमकियाँ मिलीं एयरपोर्ट को संभालने वाली मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) द्वारा पुलिस से संपर्क करने के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई। आईएसबी के व्यापक प्रमाणन कार्यक्रम के साथ अपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर को बदलें आज ही जुड़ें पहले मामले में, 30 नवंबर को शाम करीब 5.10 बजे, एक कॉलर, जिसने अपनी पहचान नहीं बताई, ने एमआईएएल हेल्पलाइन पर कॉल किया। उसने ''उधार एक बम है... बम... टाइम बम'' शब्दों को दोहराया।

इस कॉल के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एयरपोर्ट पर हेल्पलाइन कंट्रोल सेंटर की मैनेजर यामिनी बंदरकर द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद सहर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। सहार पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''चूंकि कॉल करने वाला व्यक्ति विशिष्ट और अस्पष्ट था, इसलिए कॉल को एक धोखा मानकर खारिज कर दिया गया। दूसरी एफआईआर के अनुसार, एमआईएएल कंट्रोल रूम को 3 दिसंबर को एक ईमेल मिला। ईमेल में कहा गया था कि विमान में कुछ यात्री बम लेकर सवार हैं, जो एक घंटे में फट जाएगा। एमआईएएल द्वारा पुलिस से संपर्क करने से पहले एक सुरक्षा दल ने हवाई अड्डे की गहन जांच की। सहार पुलिस अज्ञात व्यक्तियों की पहचान का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। अज्ञात कॉल करने वाले और अज्ञात प्रेषक पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 (उतावलेपन या लापरवाही से दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा या जीवन को खतरे में डालना), 351 (4) (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी, या धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम या निवास छिपाने के लिए सावधानी बरतना) और 353 (1) (बी) (सार्वजनिक शरारत को भड़काने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई : ईडी ने 13.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त

मुंबई : मुंबई नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (नैमको बैंक) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई और अहमदाबाद में सात परिसरों की तलाशी के दौरान 13.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नासिक के मालेगांव में नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन से जुड़ा है। ये लेन-देन कई बैंक खातों के जरिए एक स्थानीय व्यापारी सहित कई लोगों द्वारा किए गए थे, जिन्होंने अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया।

नासिक के मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन में 7 नवंबर को सबसे पहले एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें नासिक के मालेगांव में नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक में 14 नए खोले गए खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी रकम जमा करने का आरोप है। सिराज अहमद और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर कई निर्दोष व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। उन्हें झूठे वादों या मौद्रिक विचारों के माध्यम से प्राप्त किया गया था, ताकि अपराध की आय को परत दर परत और स्थानांतरित किया जा सके।

उक्त 21 खातों के बैंक खाता विवरणों के विश्लेषण से पता चला कि इन खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये के लेन-देन ज्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जमा किए गए थे, जिन्हें आगे विभिन्न कंपनियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन खातों के विवरणों के आगे के विश्लेषण से पता चला कि सैकड़ों करोड़ रुपये की रकम ऐसे संदिग्ध खातों से नकद में निकाली गई थी। ईडी की जांच में पता चला है कि नागनी शफी और वसीम वलीमोहम्मद भेसनिया ने कथित तौर पर विभिन्न फर्जी संस्थाओं के खातों से बड़ी मात्रा में नकदी निकाली और उसे अहमदाबाद, मुंबई और सूरत में अंगड़िया (हवाला संचालक) को वितरित किया। वे कथित तौर पर महमूद भागड़ उर्फ 'चैलेंजर किंग' उर्फ 'एमडी' के निर्देशों के तहत काम करते थे। शफी और भेसनिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।

1400 फ्लैट खरीदारों को बिल्डर द्वारा धोखा देने का मामला

मुंबई : करीब 1400 फ्लैट खरीदारों को धोखा देने वाले बिल्डर पराग ठक्कर और उसकी पत्नी शिल्पा ठक्कर की जमानत को किला कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमानत को रद्द करने के लिए ठगी का शिकार हुए फ्लैट खरीददारों ने अपना केस खुद लड़ा। कोर्ट 47 की न्यायाधीश आरबी ठाकुर ने पीड़ितों की शिकायत सुनने के बाद पाया कि आरोपी की जमानत को तत्काल रद्द करना चाहिए। पुलिस ने एक बार फिर से ठक्कर दंपति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

सुविधाओं का सपना दिखाकर बनाया शिकार

पुलिस विभाग में कार्यरत शिकायतकर्ता एजाज पटेल के मुताबिक, उन्होंने साल-2011 में लोकल ट्रेन के कुछ डिब्बों में 'श्री महालक्ष्मी डेवलपर्स' का एक विज्ञापन देखा था। एजाज फ्लैट खरीदने का मन बनाकर बिल्डर के मुलुंड ऑफिस में गए। जहां उन्हें कॉम्प्लेक्स में क्लब हाउस ,स्वीमिंग पूल, नाना नानी पार्क समेत दर्जनभर से ज्यादा सुविधाओं का सपना दिखाया गया। सेल्समैन मोहनीश जोशी ने दावा किया था कि साल-2012 तक 70 फीसदी काम पूरा हो जाएगा। 350 फीट का फ्लैट 8.5 लाख रुपये में देने की बात तय हुई। पीड़ित ने फ्लैट पर लोन कराया उसका बैंक हफ्ता कटने लगा।

साल-2019 तक भी जब फ्लैट का पजेशन नहीं मिला, तो पीड़ित ने थक हार कर फरवरी 2021 में मुलुंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी। मामला करोड़ों रुपये का था, इसलिए इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को ट्रांसफर कर दी गई।

ठगी के शिकार लोगों का बनाया वॉट्सऐप ग्रुप

पुलिस ने ठक्कर दंपति को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जल्दी ही उन्हें जमानत मिल गई। ठगी के शिकार हुए लोगों ने धीरे -धीरे एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया। फिर सभी ने कोर्ट में जमानत का पुरजोर विरोध किया। पीड़ितों के पास महंगे वकील करने के लिए पैसे नहीं थे, तब उन्होंने अदालत से विनती की, उन्हें अपने केस की पैरवी करने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने उनके निवेदन को मान लिया, अब नतीजा यह हुआ कि सभी पीड़ितों की गुहार को अदालत ने सुन लिया और आरोपी की बेल को कैंसल कर दिया है।

मुंबईः राज ठाकरे की MNS और भाजपा का होगा गठबंधन!

संजय राउत के बयान से मचा हड़कंप

मुंबईः भाजपा नगर निगम चुनाव से पहले मनसे से मुकाबला कर सकती है। एमएनएस को लोकसभा में प्रदर्शन का रिटर्न गिफ्ट भी मिल सकता है। चर्चा है कि भाजपा राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को काउंसिल की सीटें दे सकती है। लेकिन शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एमएनएस-बीजेपी गठबंधन की खबरों की आलोचना की है। सांसद संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे बीजेपी के हाथ का खिलौना हैं और बीजेपी राज ठाकरे के साथ खेलती रहती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। मनसे इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी। इसके बाद मनसे नेताओं ने भी अफसोस जताया कि उन्होंने बीजेपी को समर्थन देकर गलती की। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनपा चुनाव में मनसे को सरकार में शामिल करने को लेकर बड़ा बयान दिया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम मनसे को सरकार में शामिल करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के खिलाफ लड़ने के बावजूद उन्हें अच्छे वोट मिले। उनके कई उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले। उनके और हमारे विचार काफी हद तक मेल खाते हैं। हम उन्हें सरकार में शामिल करना चाहते हैं। राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ''राज्य में जल्द ही नगर निगम चुनावों की घोषणा की जाएगी।

महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी को बड़ा झटका!

MVA से अलग होगी समाजवादी पार्टी, अबू आजमी ने किया बड़ा ऐलान

मुंबईः महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को तगड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी ने एमवीए से बाहर होने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने इस संबंध में बड़ा ऐलान किया है। अबू आजमी ने कहा की हम महा विकास आघाड़ी से बाहर हो गये हैं। एमवीए में हमारा अपमान हुआ वह भी हमने सहा। लेकिन उद्धव ठाकरे चुनाव हारने के बाद अब हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। छह दिसंबर बाबरी डिमोलिशन बरसी का जश्न मनाते हैं। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एमवीए में नहीं रह सकते। अखिलेश यादव भी मेरी बात से सहमत होंगे।

अबू आजमी ने कही दो टूक

ईवीएम मुद्दे का हवाला देकर एमवीए विधायकों के आज शपथ नहीं लेने पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी प्रमुख अबू आजमी का कहना है कि हमें इससे क्या लेना-देना। मैं यह भी सुझाव देता हूं अगर लोगों को संदेह कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो सभी को मिलकर इसे चुनाव से हटा देना चाहिए।

दरअसल एमवीए के विधायकों ने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाकर आज विधायक पद की शपथ नहीं ली। लेकिन एमवीए के साथ चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक अबू आजमी और रईस शेख ने विधायक पद की शपथ ली। सपा विधायकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि एमवीए सिर्फ तीन दलों का गठबंधन है। छोटे दलों का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम एमवीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। सपा विधायक रईस शेख ने कहा कि एमवीए की तरफ से हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी कि आज शपथ नहीं लेना है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कही ये बात

अबू आजमी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जरूर विरोध करें लेकिन भारत में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मस्जिदों को ढ़हाया जा रहा है, मुसलमान को पीटा जा रहा है.

मुंबई में शिवाजी नगर, कांदिवली, मलाड की वायु गुणवत्ता सबसे खराब

मुंबई : स्वच्छ हवा प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे जलवायु तकनीकी संगठन रेस्पायरर लिविंग साइंसेज (आरएलएस) द्वारा हवा में मौजूद कणों के हालिया अध्ययन में शिवाजी नगर (चेंबूर), कांदिवली, मलाड, देवनार और घाटकोपर को मुंबई के शीर्ष प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। वर्तमान में, मुंबई के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समन्वय से की जाती है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी)। इन एजेंसियों द्वारा स्थापित निगरानी इकाइयाँ एक बड़े क्षेत्र का समग्र डेटा प्रदान करती हैं। हालाँकि, यह सर्वेक्षण समझने के लिए स्थानीय स्तर पर रिकॉर्ड किए गए अतिरिक्त हाइपरलोकल डेटा के साथ सीपीसीबी डेटा की तुलना करके किया गया था।

''रिपोर्ट शहरी वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें लक्षित उत्सर्जन नियंत्रण लागू करना और कम उत्सर्जन क्षेत्रों का विस्तार करना शामिल है; प्राकृतिक प्रदूषण बफर के रूप में कार्य करने के लिए शहरी वानिकी और हरित बुनियादी ढांचे को एकीकृत करना, और वास्तविक समय डेटा टूल और शैक्षिक अभियानों के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना,''आरएसएल के सीईओ रोनक सुतारिया ने कहा। इसके अलावा, रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि निर्माण धूल, वाहन उत्सर्जन और इन क्षेत्रों के अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों की निकटता वायु प्रदूषण में वृद्धि के पीछे योगदान देने वाले कुछ कारकों में से एक है। ''हाइपरलोकल वायु गुणवत्ता निगरानी पारंपरिक व्यापक पैमाने के आकलन और वायु प्रदूषण की स्थानीय वास्तविकताओं के बीच अंतर को पाटती है। बारीक, वास्तविक समय डेटा प्रदान करके, यह दृष्टिकोण हमें सटीकता के साथ प्रदूषण स्रोतों को इंगित करने और लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन करने में सक्षम बनाता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार कर सकते हैं, ''प्रोफेसर सच्चिदा नंद त्रिपाठी, अध्यक्ष, संचालन समिति, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और डीन ने कहा।, कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, आईआईटी कानपुर।

महाराष्ट्र विधानसभा का तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन शनिवार से शुरू होगा

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा का तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन शनिवार से शुरू होगा। इसमें 15वीं विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी।प्रोटेम स्पीकरकालीदास कोलंबकर नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा विधानसभा के नए अध्यक्षका चुनाव होगा। साथ ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अभिभाषण देंगे। शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल ने भाजपा के विधायक कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई।वडाला सीट से विधायक कोलंबकर 9 वीं बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। नियमों के अनुसार सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक होने के कारण कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब शनिवार, 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे विधानसभा की बैठक शुरू होगी। सदन में सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद बाकी सदस्य क्रमवार एक-एक करके शपथ लेंगे। इसके बाद 8 दिसंबर को बचे हुए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी।

विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं। 9 दिसंबर को विधानभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसी दिन राज्यपाल विधानभवन के सेंट्रल हॉल में अभिभाषण देंगे। इस मौके पर विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य मौजूद रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत विधानसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद होनेवाले पहले अधिवेशन और प्रत्येक वर्ष की शुरूआत में आयोजित पहले अधिवेशन में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में महायुति की सरकार गठित हुई है।

महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के आदेश रद्द, नाम में क्या रखा है, काम देखना चाहिए - बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के एक आदेश को रद्द करते हुए टिप्पणी की कि नाम में क्या रखा है, काम देखना चाहिए। अगर काम गलत हो, तो करवाई करनी चाहिए। चैरिटी कमिश्नर ने एक धर्मार्थ संगठन को लेकर आदेश दिया था कि धर्मार्थ संगठन 'मानवी हक्का संरक्षण और जागृति ट्रस्ट' को अपने शीर्षकों में 'भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघट, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, ''भ्रष्टाचार मुक्त भारत' या ''मानवाधिकार' जैसे शब्दों का उपयोग न करें। न्यायमूर्ति एम.एस.सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की पीठ ने मानवी हक्का संरक्षण और जागृति ट्रस्ट की दायर याचिका पर अपने फैसले में कहा कि संगठन के नाम के बजाय उसके काम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई या मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए लड़ना ''सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तु'' की परिभाषा में आता है। इसके लिए एक धर्मार्थ ट्रस्ट या संगठन स्थापित किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि हम यह कहकर समाप्त कर सकते हैं कि ''नाम में क्या रखा है, काम देखना चाहिए। अगर काम गलत हो तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

पीठ ने कहा कि यह दावा करना कि भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास किसी धर्मार्थ संगठन का लक्ष्य नहीं हो सकता है, यह कानूनी परिभाषाओं का खंडन करेगा। यह कैंसर बन गया है, जो जन कल्याण को कमजोर कर रहा है। आर्थिक विकास और सरकारी दक्षता में बाधा डाल रहा है। ऐसी कोई प्रथा प्रचलित या प्रोत्साहित नहीं की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार और मानवाधिकार एक दूसरे से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार मानव कल्याण के सभी क्षेत्रों और पहलुओं, विशेष रूप से मानवाधिकारों के लिए हानिकारक है।

चैरिटी कमिश्नर ने जुलाई 2018 परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि धर्मार्थ संगठन मानवी हक्का संरक्षण और जागृति ट्रस्ट अपने शीर्षकों में 'भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघटक, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत या मानवाधिकार' जैसे शब्दों का उपयोग न करें, क्योंकि उनका तर्क था कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन एक सरकारी जिम्मेदारी है, न कि निजी संस्थाओं की। धर्मार्थ संगठन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चैरिटी कमिश्नर के जारी परिपत्र को चुनौती दी थी।

जीर्ण-शीर्ण अंधेरी ईस्ट फ्लाईओवर के एक हिस्से का बीएमसी ने मरम्मत करने का फैसला किया

मुंबई : मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जीर्ण-शीर्ण अंधेरी ईस्ट फ्लाईओवर के एक हिस्से का बड़ा स्लैब एक कार पर गिरने के पांच महीने बाद, जिसमें ड्राइवर बाल-बाल बच गया, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने इस ढांचे की मरम्मत करने का फैसला किया है, जो मुकदमेबाजी में उलझा हुआ है। बीएमसी इस फ्लाईओवर की मरम्मत करेगी, जिसे जोग फ्लाईओवर के नाम से भी जाना जाता है, ''बड़े जनहित में'' इसकी अनुमानित लागत ₹95 करोड़ होगी और मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) से प्रतिपूर्ति की मांग करेगी।

राज्य सरकार की एजेंसी ने नवंबर 2022 में रखरखाव के लिए बांद्रा से दहिसर तक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जिसमें जोग फ्लाईओवर भी शामिल है, बीएमसी को सौंप दिया था। कागजों पर, फ्लाईओवर का स्वामित्व राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास है। आईएसबी के व्यापक प्रमाणन कार्यक्रम के साथ अपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर को बदलें आज ही जुड़ें सितंबर में, एचटी ने बताया था कि नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने फैसला किया है कि बीएमसी फ्लाईओवर की मरम्मत नहीं करेगी क्योंकि यह मुकदमेबाजी में उलझा हुआ है। हालांकि, गगरानी ने अब मरम्मत कार्य में और देरी नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि इससे यात्रियों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी ने नाम न बताने का अनुरोध करते हुए कहा। स्लैब ढहने से एक सप्ताह पहले 23 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट में, एचटी ने अप्रैल 2023 में वीरमाता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान (वीजेटीआई) द्वारा प्रस्तुत एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया था, जिसमें फ्लाईओवर को जीर्ण-शीर्ण और अनिश्चित स्थिति में घोषित किया गया था।

सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी की हिरासत मे 'मौत; जांच रिपोर्ट में प्राकृतिक मौत बताया

मुंबई : हाईकोर्ट में शुक्रवार को अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी अनुज थापन की हिरासत में मौत कोलेकर हुई मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट पेश की गई। जांच रिपोर्ट में थापन की आत्महत्या को प्राकृतिक मौत बताया गया है। उसकी आत्महत्या के पीछे कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। साक्ष्यों के तौर पर पेश सीसीटीवी में थापन शौच के लिए आराम से जाते हुए दिख रहा था। आरोपी अनुज की मां रीता देवी की ओर से वकील निशांत राणा और वकील संदीप कटके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने थापन की मौत को लेकर मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पेश की। पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में थापन की आत्महत्या को लेकर कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। मजिस्ट्रेट ने सीआईडी द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के साथ 31 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। इसमें पुलिसकर्मियों के साथ मृतक के परिवारों का बयान भी शामिल है। पीठ ने सीआईडी को 24 जनवरी को अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

मुंबई : प्रेम प्रसंग के चलते हत्या; एक व्यक्ति गिरफ्तार

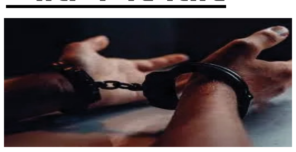

मुंबई : पिंपरी-चिंचवाड़ पुलिस के जबरन वसूली विरोधी और औद्योगिक शिकायत समाधान दस्ते ने कथित प्रेम प्रसंग के चलते 23 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके नाबालिग साथी को हिरासत में लिया, शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों ने बताया।

पुलिस को मंगलवार शाम करीब 6.40 बजे सूचना मिली कि चरहोली निवासी और मुजफ्फरनगर के मूल निवासी 23 वर्षीय सचिन कुमार लखीदार राय को अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से चाकू मार दिया। बाद में उसकी मौत हो गई। आरोपी की पहचान बिहार के मुजफ्फरनगर के रहने वाले वाकड निवासी 22 वर्षीय गौतम रामानंद राय के रूप में हुई है और पुलिस ने उसके 17 वर्षीय साथी को हिरासत में लिया है।

मीरा रोड : 75 वर्षीय महिला को बंधक बनाकर रखने और सोने की चूड़ियाँ लूटने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई पुलिस ने मीरा रोड स्थित 75 वर्षीय महिला को उसके घर में पूरी रात बंधक बनाकर रखने और फिर 5 लाख रुपये की सोने की चूड़ियाँ लूटने के आरोप में 23 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन की मदद से 72 घंटे के भीतर ही पास की एक ज्वेलरी स्टोर में काम करने वाले लुटेरे मोहम्मद सलीम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक, यह घटना मंगलवार को मीरा रोड के नया नगर में लक्ष्मी पार्क देवदारपन सोसाइटी में हुई। चौधरी को पता था कि वरिष्ठ नागरिक फातिमा यूसुफ ज्वेल अपने फ्लैट में अकेली रहती हैं। रात करीब 9 बजे, उसने इलेक्ट्रीशियन की नकल करते हुए अपने हाथ में बिजली के उपकरण लेकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी।

उसने कहा कि उसे सोसाइटी के निवासियों ने भेजा था और ज्वेल ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया क्योंकि हाल ही में शॉर्ट सर्किट के कारण उसके घर में आग लग गई थी।

एमआईटी के विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले कार्यक्रम के साथ अत्याधुनिक एआई समाधान बनाएँ अभी शुरू करें जब उसने उसे अंदर आने दिया, तो चौधरी ने कथित तौर पर उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और उसे चाकू की नोक पर पकड़ लिया। उसने उसे जबरन बेडरूम में ले जाकर सभी कीमती सामान उसे सौंपने की मांग की। फिर उसने कथित तौर पर उसकी गर्दन पकड़ी और उसे मुक्का मारा। ज्वेल किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी क्योंकि उसने उसका मोबाइल फोन छीन लिया था, उसके सभी संपर्क मिटा दिए थे और उसे वापस करने से पहले उसे बंद कर दिया था। उसने उसे धमकी दी कि वह किसी को भी यह न बताए कि क्या हुआ था और सुबह 5 बजे इमारत से निकल गया।

अगले दिन, ज्वेल की भतीजी, सना शेख, फ्लैट पर गई क्योंकि उसका मोबाइल फोन बंद था और उसे उसकी आपबीती पता चली। उसने ज्वेल की बहन, नाजिया वागले को सूचित किया और तीनों महिलाओं ने एमबीवीवी पुलिस से डकैती की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। ''हमने इमारत के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया और चौधरी को सुबह-सुबह चुपके से बाहर निकलते हुए देखा।

जेल में बंद रेलवे सुरक्षा बल के पूर्व अधिकारी पर सात साथी कैदियों का हमला...

आंख और सिर पर गंभीर चोटें

मुंबई : ठाणे कल्याण के अधरवाड़ी जेल में बंद रेलवे सुरक्षा बल के एक पूर्व अधिकारी पर सात साथी कैदियों ने हमला कर दिया। इस हमले में पत्थर और बाल्टी का इस्तेमाल किया गया, जिससे उसकी आंख और सिर पर गंभीर चोटें आईं। घटना के संबंध में खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।

कल्याण के अधरवाड़ी जेल में बंद पूर्व रेलवे सुरक्षा बल अधिकारी पर हमला हरियाणा कैडर के इस पूर्व अधिकारी को 2023 में अपने वरिष्ठ अधिकारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर छुट्टी न दिए जाने की शिकायत के कारण ऐसा किया गया था। उनका यह भी मानना था कि विभागीय जांच के बाद वरिष्ठ अधिकारी ने उनकी वेतन वृद्धि रोक दी थी। रिपोर्टों से पता चला है कि उन्हें गुस्सा आता था। हालांकि, पुलिस के अनुसार, जेल में रहने के दौरान साथी कैदियों द्वारा हमला किए जाने पर उन्होंने कथित तौर पर जवाबी कार्रवाई नहीं की। आईएसबी के व्यापक प्रमाणन कार्यक्रम के साथ अपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर को बदलें आज ही जुड़ें झगड़ा तब शुरू हुआ जब पूर्व अधिकारी जेल परिसर में एक सार्वजनिक पानी के नल के पास खड़ा था। एक अन्य कैदी, जो आंतरिक गार्ड के रूप में काम करता है, उसके पास खड़ा था।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com